



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखपट्टणम क्षेत्र Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखपट्टणम- 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 estt.ccovz-cbec@nic.in



स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 18/2022 (हवलदार)
Establishment Order (N.G.O)No. 18/2022 (Havalgars)

खेल कोटे के तहत हवलदार के नियुक्ति के संबंध में प्रधान आयुक्त केंद्रीय कर (सीसीए), हैदराबाद द्वारा जारी (डीजीएचआरडी आदेश संख्या हैदराबाद जीएसटी और सीएक्स/सीसीओ और सीसीए/हवलदार/75548 के संबंध में) स्थापना आदेश (अराजपत्रित) संख्या 133/2022 दिनांक 23.12.2022 के अनुसार विशाखापट्टणम सीजीएसटी जोन के आवंटन पर, **कुमारी एम. मोनिका** को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, विजयवाडा (मुख्यालय, विजयवाडा में तैनाती के लिए) में तैनात किया जाता है।

Consequent upon issue of EO (NGO) No. 133/2022 dated 23.12.2022 (w.r.t DGHRD order No. Hyderabad GST & CX/CCO & CCA/ Havalgar / 75548) by Principal Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad regarding appointment of Havalgars (under Sports Quota), and on allotment to Visakhapatnam CGST Zone, **Ms.M. Monica** is posted to Customs Commissionerate (Preventive), Vijayawada (for posting at Headquarters, Vijayawada) with immediate effect and until further orders.

2. अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए **कुमारी एम. मोनिका** को दिनांक 28.12.2022 के अपराहन में कार्यमुक्त किया जाता है। केंद्रीय कर, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय (सीसीए) के प्रधान आयुक्त द्वारा जारी किए गए स्थापना आदेश (अराजपत्रित) संख्या 133/2022 दिनांक 23.12.2022 में उल्लेखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।

Ms.M. Monica stands relieved in the afternoon of today i.e 28.12.2022 to enable her report at her new place of posting. All other terms and conditions mentioned in the EO(NGO) No.133/2022 dated 23.12.2022 issued by the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad GST Commissionerate (CCA) referred above remain unaltered.

3. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in relevant records

4. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा । In case of any ambiguity English version will prevail.

5. यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[फाईल संख्या **GCCO/II/(3)/148/2022-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM** से जारी]
[Issued from file **GCCO/II/(3)/148/2022-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM**]

सेवा में/ To

संबंधित व्यक्ति को।The Individual

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय कर, हैदराबाद (सं.नि.प्रा.) ।
2. आयुक्त, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, विजयवाडा ।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी / आहरण और संवितरण अधिकारी, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, विजयवाडा ।
4. वेतन और लेखा अधिकारी, गुंटूर
5. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:

1. The Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad (CCA).
2. The Commissioner of Customs, Customs Commissionerate (Preventive), Vijayawada
3. CAO / DDO Customs Commissionerate (Preventive), Vijayawada
4. PAO Guntur
5. Notice Board/website/Stock file.